



MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं नियामक संस्था)

क्रमांक/जैविबो/बीएबीएस सेल/2022/1549

भोपाल, दिनांक 13/05/2022

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के संचालक मंडल की दिनांक 14.02.2022 को आयोजित 19 वीं बैठक में प्रस्तुत एजेंडा क्रमांक 5 – व्यापारियों के लिए जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) हेतु आगामी 03 वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24, 2024–25) के लिये 1 प्रतिशत दर निर्धारित करने के संबंध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं वन विभाग म.प्र. शासन की टीप क्रमांक/यू.ओ.नम्बर/125/2022/10–2 दिनांक 12.05.2022 के अनुमोदन अनुसार जैवविविधता अधिनियम, 2002, म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 के विनियम 3 (1) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 में जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) की दर जैव संसाधनों के क्रय मूल्य का 1 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक/जैविबो/बीएबीएस सेल/2022/1550

भोपाल, दिनांक 13/05/2022

प्रतिलिपि—

1. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन एवं अध्यक्ष, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमंडल व पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, बीएबीएस सेल, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त सहायक सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव